

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 आम आदमी पार्टी गुंडो की पार्टी बन गई है : गौरव भाटिया

06 भारत का पुराना परीक्षा जुनून छात्रों के भविष्य को कैसे प्रभावित कर रहा

08 'कम से कम 3 बच्चे पैदा करना जरूरी', संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान

## भारत में डीजल वाहन किए जाएंगे जल्द बैन! सरकार का बड़ा फैसला

संजय बाटला

नई दिल्ली। फाइल तैयार, दिसंबर माह शुरू होने पर भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात जस के तस बने हुए हैं। कई इलाकों में तो एक्ज्यूआई लेवल 400 के पार पहुंचा हुआ है। जिस कारण जनता के समक्ष दिखावा बनाए रखने के उद्देश्य को पूरा करते हुए दिल्ली सरकार ही नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार भी चिन्ता दिखा रही है। आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने डीजल चालित वाहनों को भारत से पूरी तरह खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है। भारत सरकार को एक्सपर्टों ने बताया है कि पॉल्यूशन बढ़ने में सबसे ज्यादा डीजल वाहन ही वजह हैं।

एक्सपर्ट्स की सलाह को मानते हुए भारत सरकार ने डीजल वाहनों को बंद करने की अंतिम तारीख जारी कर दी है। वर्तमान में डीजल वाहनों में कमी लाने के उद्देश्य से डीजल वाहनों की आयु सीमा 10 साल लागू की गई है। लेकिन अब सरकार डीजल वाहनों के खिलाफ बड़ा फैसला लेने जा रही है।

**ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति की रिपोर्ट** ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति ने सरकार को एक रिपोर्ट और प्रस्ताव पेश किया है। जिसमें कहा है डीजल वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण करते हैं इसलिए तत्काल प्रभाव इन पर प्रतिबंध कर देना चाहिए।

जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है और सरकार का उद्देश्य डीजल वाहनों पर



प्रतिबंध लगाने के पीछे ईवी वाहनों को बढ़ावा देना है।

विश्वस्त सूरों की माने तो डीजल वाहनों की निर्भरता कम करने के लिए ही ईवी वाहनों पर सरकार सब्सिडी का ऐलान भी कर सकती है।

ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2027 से डीजल वाहनों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की सिफारिश की गई है। सरकार इस पर क्या फैसला लेती है इसका इंतजार सभी को है। अगर सरकार फैसला कर देती है तो सड़कों पर डीजल वाहन सिर्फ खड़े साल तक ही चला सकते हैं और उसके साथ ही कार कंपनीज भी डीजल वाहन बेचना बंद कर देंगी।

सूरों की मानें तो डीजल वाहन पर सबसे पहले इन राज्यों में लगेगा प्रतिबंध

शुरुआती दौर में कुछ चुनिंदा शहरों में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके लिए यह मानक भी तय किए जा चुके हैं।

सूरों के अनुसार जिन शहरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है उन शहरों में शुरूआत में प्रतिबंध और अन्य राज्यों में धीरे धीरे प्रतिबंध लागू होते रहेंगे।

दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने वाहनों को घुसने पर रोक है और चलाने वालों को पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।

**हमारी राय है की डीजल चालित वाहनों को खरीदने के अपने फैसले पर फिर विचार करें और आदेश जारी होने तक डीजल चालित वाहनों की खरीद को टाल दें।**

आपको बता दें कि सरकार भी अब



डीजल वाहनों की बिक्री की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर ज्यादा जोर दे रही हैं। सूरों का दावा है कि सरकार डीजल वाहनों को लेकर अभी और कड़े फैसले लेने वाली है इसलिए नुकसान से

बचने के लिए फिलहाल डीजल वाहन खरीद का फैसला टालना ही ठीक रहेगा। साथ ही डीजल के स्थान पर पेट्रोल या अन्य किसी ईंधन से चलने वाले वाहन लेना ठीक रहेगा।

**टॉल्वा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)**

**TOLWA**

website: www.tolwa.in  
Email: tolwadelhi@gmail.com  
bathiasarjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैवशन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम-डीएल-0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय:- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए-4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063  
कॉर्पोरेट कार्यालय:- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ाया दिल्ली 110042

## गैप के चक्कर में दिल्ली में ट्रैफिक की रफतार स्लो, सड़कों पर बुरा हाल, अखिर कैसे मिलेगा छुटकारा

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया है और बैरिकेड्स लगाकर उनकी जांच की जा रही है। इससे यातायात जाम और प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई कर रही है। लोग इससे नाखुश हैं क्योंकि उनका यात्रा समय बढ़ गया है।

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए गैप की पंक्तियां लागू की गई हैं। इसके तहत कुछ गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस इन नियमों का पालन करवाने के लिए शहर भर में बैरिकेड्स लगाकर गाड़ियों की जांच कर रही है। इससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इससे यातायात जाम बढ़ गया है और उनकी यात्रा का समय भी बढ़ गया है। इसके अलावा जाम में फंसी गाड़ियों से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। पुलिस का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि लोग इस कार्रवाई से नाखुश हैं और इसे बेवजह की परेशानी बता रहे हैं।

**सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी दिल्ली सरकार को फटकार**

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को सख्ती से लागू न करने पर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने विशेष रूप से प्रतिबंधित कमर्शियल वाहनों के शहर में एंटी पर चिंता जताई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने शहर भर में बैरिकेड्स लगाकर गाड़ियों की जांच शुरू कर दी। एक सीनियर पुलिस अधिकारी के अनुसार, सीमाओं पर 13 बड़े और आसपास के इलाकों में 113 छोटे पिकेट लगाए गए हैं। इसके अलावा सभी 15 जिलों में 10-10 पिकेट लगाए गए हैं। हर पिकेट पर तीन शिफ्ट में चार-चार पुलिसकर्मी तैनात हैं। पुलिस के पास चालान मशीनें हैं और वे चौबीसों घंटे जांच कर रहे हैं। अगर कोई गाड़ी पुरानी लगती है, तो पुलिस उसके दस्तावेजों की जांच करती है।

**पुलिस की बैरिकेडिंग से लोगों को हो रही दिक्कत**

हालांकि दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि बैरिकेड्स की वजह से लंबे जाम लग रहे हैं और उनकी यात्रा का समय बढ़ गया है। गाजियाबाद के रहने वाले धनंजय शर्मा ने बताया है, 'गाजियाबाद

से दिल्ली मेरट एक्सप्रेसवे और फिर इंद्रप्रस्थ पार्क टी-पॉइंट से आता हूँ। पिछले कुछ दिनों में, टी-पॉइंट और इंद्रप्रस्थ प्लाईओवर के बीच 1 किलोमीटर के दायरे में दो जगहों पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, जिससे भारी जाम लग रहा है। पहले मुझे आईटीओ ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचने में पाँच मिनट लगते थे, लेकिन अब 10-15 मिनट लग रहे हैं।'

**अखिर क्यों लगाए गए बैरिकेड्स?**

अलीशा जुनेजा नाम की एक अन्य यात्री ने बताया, 'विकास भवन सिग्नल से ठीक पहले, सड़क के दोनों ओर दो बैरिकेड्स लगाए गए हैं। हाल ही में, जब मैं विकास मार्ग पर आईटीओ की ओर जा रही थी, तो मेरे सामने वाली कार अचानक एक बैरिकेड से बचने के लिए बाईं ओर मुड़ गई। मुझे अपनी कार को उससे टकराने से बचाने के लिए ब्रेक लगाने पड़े।

मैं हर दिन इसी रास्ते से जाती हूँ और मुझे नहीं पता कि ये बैरिकेड्स क्यों हैं। ज्यादातर समय वे खाली रहते हैं। कभी-कभी जब अधिकारी मौजूद होते हैं, तो वे बिना कोई कार्रवाई किए वहां खड़े रहते हैं। इन बैरिकेड्स का उद्देश्य क्या है?'

**सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर की**

**परेशानी**

लोगों ने एक्स पर भी अपनी परेशानी जाहिर की है। प्रिंस नाम के एक यूजर ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और गुडगांव पुलिस को टैग करते हुए एक्स पर पोस्ट किया, 'दिल्ली की ओर जाने वाले बांडर पर एमजी रोड पर पुलिस के बैरिकेड्स के कारण भारी ट्रैफिक



जाम है। यह यहां का रोजमर्रा का दृश्य है। कृपया इस पर ध्यान दें और मदद करें। यह प्रदूषण कम करने में मदद नहीं कर रहा है, बल्कि यह प्रदूषण को बढ़ा रहा है।'

**'भीड़भाड़ वाले इलाक़े में भी बैरिकेडिंग'**

नोएडा में रहने वाले करण सिंह ने बताया, 'मैं नोएडा के सेक्टर 25 से सेंट्रल दिल्ली जा रहा था, जो आमतौर पर मुझे 45 से 50 मिनट में तय हो जाता है। हालांकि मुझे दोगुना समय लगा क्योंकि पूरा अक्षरधाम प्लाईओवर जाम था। पहले मुझे लगा कि यह किसी ब्रेकडाउन के कारण है, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने अक्षरधाम के पास बैरिकेड्स लगा रखे थे। अक्षरधाम के सामने का इलाका वैसे भी भीड़भाड़ वाला है, तो जब कोई गाड़ियों की जांच की नहीं कर रहा था, तो बैरिकेड लगाने का क्या मतलब था?'

एक ट्रैफिक अधिकारी ने बताया कि उनके पास एक ऐप है जिसके माध्यम से वे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। अधिकारी ने आगे कहा, 'उनके पास अलग-अलग गाड़ियों की तस्वीरों और जानकारी वाली एक बुकलेट भी है, जिससे बैन गाड़ियों की पहचान करने में मदद मिलती है।'

## दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने 10,000 बस मार्शल्स की दोबारा नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है

## मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ... सीएम आतिशी ने एलजी को क्यों लिखी ऐसी चिट्ठी

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने 10,000 बस मार्शल्स की दोबारा नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि दो हफ्ते बाद भी उनकी मंजूरी नहीं मिली है। बस मार्शल्स की नियुक्ति से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और 10,000 परिवारों को राहत मिलेगी।

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को बस मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने खत में लिखा कि मार्शल्स की दोबारा नियुक्ति को लेकर 13 नवंबर 2024 को हमारे सभी मंत्रियों ने एक प्रस्ताव पास करके आपको भेजा था। करीब दो हफ्ते से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी इस प्रस्ताव पर आपकी ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये देरी क्यों हो रही है।

**जल्द ही बसों में मार्शलों की नियुक्ति**

उन्होंने एलजी से अपील करते हुए कहा कि आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस प्रस्ताव पर जल्द से जल्द अपनी स्वीकृति दें। ताकि उन 10,000 परिवारों में फिर से रौशनी लौट आए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल तैनात हो सके। सीएम आतिशी ने चिट्ठी में लिखा, 'पूरी दिल्ली कभी नहीं भूल सकती है जो दिन जब हमारी माताएं बहनें और



बेटियां बसों में असुरक्षित महसूस करती थीं।

**महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी**

उन्होंने आगे लिखा कि छेड़खानी और गलत नजरों का शिकार होना जैसे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। बच्चियों का स्कूल और कॉलेज जाना किसी चुनौती से कम नहीं था और महिलाएं काम पर जाने से पहले सी बोर सोचती थीं कि क्या वे सुरक्षित लौट पाएंगी। ये दर्द हर घर में महसूस किया जाता था। हमारी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बसों में 10,000 से

ज्यादा मार्शल तैनात किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मार्शल ने ईमानदारी से अपना काम करते हुए बहुत से उपद्रवियों को पकड़ा था, उसके बाद से ही हर महिला ने पहली बार बसों में खुद को सुरक्षित महसूस किया था। बसों में तैनात हमारे मार्शल हर उस मां बहन बेटी के लिए उम्मीद थे जो रोज अपने घर से निकलती हैं।'

**अक्टूबर 2023 में नौकरी से हटाया**

उन्होंने आगे पत्र में लिखा कि इन मार्शलों ने न सिर्फ महिलाओं को सुरक्षा दी बल्कि उन्हें

आत्मविश्वास भी दिया उनमें ये भरोसा भी जगाया कि अब कोई भी असामाजिक तत्व उनको तंग नहीं करेगा। लेकिन, फिर केंद्र सरकार के इशारों पर दिल्ली सरकार में बैठे कुछ अफसरों ने एक सजिश के तहत पहले तो इन सभी मार्शलों की तनखाह रोक दी और फिर 31 अक्टूबर 2023 को इन बस मार्शलों को उनकी नौकरी से भी हटा दिया गया।

सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने आपसे तब भी गुजारिश की थी कि ऐसे अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए लेकिन

दुर्भाग्यवश उन पर कार्रवाई करने की बजाए उन्हें तरक्की देकर और भी बड़े पदों पर बैठा दिया गया। महोदय इन गरीब मार्शलों की नौकरी छीनने से न केवल उनके परिवारों का सहारा छिन गया बल्कि महिलाओं की सुरक्षा का वह कवच भी कमजोर हो गया जो हर दिन लाखों महिलाओं को निडर होकर बसों में सफर करने की ताकत देता था।

**दिल्ली सरकार ने पास किया प्रस्ताव**

आतिशी ने लिखा कि इन सभी मार्शलों को दोबारा नियुक्ति देकर इन्हें वापस नौकरी पर रखने के लिए 13 नवंबर 2024 को हमारे सभी मंत्रियों ने एक प्रस्ताव पास करके आपके पास आपके कार्यालय में भेजा। लेकिन, अब लगाभग दो हफ्ते से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी इस प्रस्ताव पर आपकी ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये देरी क्यों हो रही है।

**एलजी की सहमति का इंतजार**

सीएम आतिशी ने कहा कि आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस प्रस्ताव पर जल्द से जल्द अपनी स्वीकृति दें ताकि उन 10,000 परिवारों में फिर से रौशनी लौट आए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल तैनात हो सकें। आपकी स्वीकृति का इंतजार केवल इन मार्शलों को ही नहीं बल्कि मुझे और हमारी पूरी सरकार इन मार्शलों के परिवार और दिल्ली की सभी महिलाओं को है। हम सब आपकी सहमति का इंतजार कर रहे हैं।'

## मेट्रो प्रोजेक्ट दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओइशा

**भुवनेश्वर:** भुवनेश्वर मेट्रो परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पहले चरण में 26 किमी मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। पहले 20 स्टेशन ओइशा की कला और संस्कृति पर आधारित बनाए जाएंगे। नवंबर 2023 में डीपीआईआर की मंजूरी के बाद काम शुरू हो गया है। 26 किमी में 20 स्टेशन होंगे। 13 ट्रेन चलेगी। एक ट्रेन में 3 कोच होंगे। इस प्रोजेक्ट का बजट 6 हजार 256 करोड़ है। नवंबर से अब तक 460 करोड़ रूपए खर्च हो चुके हैं। एकामेर निर्वाचन क्षेत्र में 3 स्टेशन, मध्य निर्वाचन क्षेत्र में 4 स्टेशन, उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में 10 स्टेशन और कटक में 3 स्टेशन होंगे। 95 हजार लोगों की दैनिक परिवहन क्षमता होगी। 92 एकड़ जमीन की जरूरत थी। और सिर्फ 15 एकड़ जमीन बची है। मालीपाड़ा में 40 एकड़ जमीन दी गयी है। जहां मेट्रो का कार्यालय है और वहां काम चल रहा है, राज्य सरकार ने अक्टूबर में 250 करोड़ रुपये दिये हैं। राज्य सरकार द्वारा अन्य 350 करोड़ का भुगतान 31 मार्च 2025 तक किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य सरकार को 1700 करोड़ रुपये भुगतान का प्रस्ताव दिया गया है। मेट्रो का यह काम राज्य सरकार की पूरी फंडिंग से किया जाएगा।
















# 'कम से कम 3 बच्चे पैदा करना जरूरी', संघ प्रमुख मोहन भगवत का बड़ा बयान; कहा- वरना समाज बर्बाद हो जाएगा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भगवत ने परिवार के महत्व पर जोर देते हुए हिंदुओं का नाम लिए बगैर भारत में उनकी घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर समाज की जनसंख्या वृद्धि दर गिरते-गिरते 2.1 प्रतिशत के नीचे चली गई तो तब समाज को किसी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं वह अपने आप ही नष्ट हो जाएगा।

नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंचालक मोहन भगवत ने परिवार के महत्व पर जोर देते हुए हिंदुओं का नाम लिए बगैर भारत में उनकी घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर समाज की जनसंख्या वृद्धि दर गिरते-गिरते 2.1 प्रतिशत के नीचे चली गई तो तब समाज को किसी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं, वह अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कम से कम तीन बच्चे पैदा करना बेहद जरूरी है। नागपुर में 'कथाले कुल सम्मेलन' को रविवार को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख

भागवत ने कहा, 'कुटुंब (परिवार) समाज का हिस्सा है और हरेक कुटुंब इसकी इकाई है। हमारे देश की जनसंख्या नीति, जो 1998 या 2002 के आसपास तय की गई थी, वो ये कहती है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। हमें दो से अधिक बच्चों की जरूरत है, यानी तीन (जनसंख्या वृद्धि दर के रूप में), जनसंख्या विज्ञान यही कहता है। यह संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे (समाज को) जीवित रहना चाहिए।'

देश में घट रही हिंदुओं की आबादी ध्यान रहे कि इसी साल भारत बढ़ती आबादी की लंबी छलांग लगाते हुए चीन को पछाड़ कर जनसंख्या में मामले में विश्व में अग्रणी आ गया है। हालांकि भारत में बहुसंख्यक हिंदू पिछली जनगणना में 80 प्रतिशत थे, जो अब इस साल तक उनकी जनसंख्या वृद्धि दर घटने से देश में उनकी कुल आबादी घटकर 78.9 प्रतिशत ही रह गई है। जबकि हिंदू आबादी अब भी देश में करीब 1.094 अरब है। पूरे विश्व के 95 प्रतिशत हिंदू भारत में रहते हैं। जबकि देश में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर बढ़ी है।



## माँग में सिंदूर लो हो गई दूर

एक बार ही देखा वो मेरे लिए अजनबी थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए सही थी। हा, उसका यू खिल-खिलाकर चले जाना, मासूम चेहरा लिए दांतों में उंगली दबाना! खूब होता था उसका ये अंदाज शायराना।

एक बार ही देखा वो मेरे लिए अजनबी थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए सही थी। एक बारगी मन में आया फोटो तो खींच लूं, वो बहुत दूर थी लगता था बाँहों में भींच लूं, ख्वाबों में वह मेरी जमी थी जिसे मैं सींच लूं।

एक बार ही देखा वो मेरे लिए अजनबी थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए सही थी। मैं एक दिन जा रहा हँसते-हँसते अपने रस्ते, दिखा मुझे वही चेहरा कर दिया मैंने नमस्ते! माथे पे बिंदिया माँग में सिंदूर लो हो गई दूर।



संजय एम. तराणेकर

## 'यह हमारी विरासत पर हमला', अजमेर दरगाह मामले में नजीब जंग

अजमेर दरगाह मामले में आधा दर्जन से अधिक पूर्व नौकरशाही और राजनयिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी से इन गतिविधियों को रोकने की मांग की। यह भी कहा कि पूजा स्थल अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद अदालतें इन मामलों में अधिक तत्परता दिखा रही हैं। बता दें कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अदालत में याचिका दाखिल की।

नई दिल्ली। अजमेर शरीफ दरगाह मामले में पूर्व नौकरशाही और राजनयिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी से इन गतिविधियों को रोकने और हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह भारत की सभ्यतागत विरासत पर वैचारिक हमला है।

यह एक समावेशी देश के विचार को विकृत करता है। पत्र में कहा गया है कि पीएम मोदी अकेले ही इसे रोक सकते हैं। पूर्व नौकरशाहों ने यह भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वीं शताब्दी के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स के अवसर पर चादरें भेंज चुके हैं।


इन्होंने लिखा पत्र

दिल्ली के पूर्व लोफ्टनेट गवर्नर नजीब जंग, यूनाइटेड किंगडम में भारत के पूर्व उच्चायुक्त शिव मुखर्जी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी, पूर्व उप-सेना प्रमुख लोफ्टनेट जनरल जमीरुद्दीन शाह और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व डिप्टी गवर्नर रवि वीर गुप्ता समेत लगभग आधा दर्जन पूर्व नौकरशाहों और राजनयिकों ने 29 नवंबर को प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा।

'अदालतें दिखा रही तत्परता'

पत्र में लिखा कि पूजा स्थल अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद अदालतें भी ऐसे माँगों पर अनावश्यक तत्परता और जल्दबाजी से प्रतिक्रिया करती दिखती हैं। यह भी कहा कि यह अकल्पनीय लगता है कि एक स्थानीय अदालत 12वीं शताब्दी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वेक्षण का आदेश दे। यह दरगाह एशिया में न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि उन सभी भारतीयों के लिए सबसे पवित्र सूफी स्थलों में से एक है, जिन्हें हमारी समन्वयकारी और बहुलवादी परंपराओं पर गर्व है।

यह हमारी विरासत पर हमला



पत्र में यह भी लिखा है कि यह सोचना ही हास्यास्पद है कि एक फकीर, जो भारतीय उपमहाद्वीप में अद्वितीय सूफी अनुष्ठानों का अभिन्न अंग और करुणा, सहिष्णुता व सद्भाव का प्रतीक था, वह अपनी सत्ता कायम रखने के लिए किसी मंदिर को नष्ट कर सकता है।

पीएम को संबोधित पत्र में आगे यह भी लिखा कि इस अद्वितीय समन्वयकारी स्थल पर वैचारिक हमला हमारी सभ्यतागत विरासत पर हमला है। यह समावेशी भारत के उस विचार को विकृत करता है जिसे आप स्वयं पुनर्जीवित करना चाहते हैं।

नौकरशाहों ने कहा कि इस तरह से समाज न तो प्रगति कर सकता है और न ही विकसित भारत का आपका सपना साकार हो सकता है।

अदालत ने जारी किया नोटिस बता दें कि 27 नवंबर को अजमेर की एक सिविल अदालत ने अजमेर दरगाह

समिति, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी किया। यह नोटिस हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर जारी किया गया। याचिका में दावा किया गया था कि दरगाह मूलरूप से एक शिव मंदिर था।

## EC के फैसले को SC में चुनौती, मतदान केंद्रों पर वोटर्स की संख्या बढ़ाने का मामला; सोमवार को सुनवाई



चुनाव आयोग द्वारा अगस्त 2024 में दो नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आदेश के अनुसार देश के प्रत्येक मतदान केंद्र पर वोटर्स की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि मतदाताओं की संख्या बढ़ाने से वंचित समुदाय की मतदान में भागीदारी कर होने की संभावना है।

नई दिल्ली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा जारी दो आदेशों को चुनौती दी गई है। इस याचिका में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें भारत में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाई गई है। ये जनहित याचिका इंदु प्रकाश सिंह ने शीर्ष न्यायालय में दायर की है। दरअसल, चुनाव आयोग द्वारा अगस्त 2024 में दो नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस आदेश के अनुसार देश के प्रत्येक मतदान केंद्र पर वोटर्स की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने का आदेश दिया था। इसी आदेश को चुनौती देने के लिए शीर्ष न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है।

याचिका में कही गईये बात

इंदु प्रकाश सिंह के वकील अभिषेक सिंघवी ने इस जनहित याचिका को लेकर कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से 1500 मतदाताओं की संख्या बढ़ाने से वंचित समुदाय की मतदान

में भागीदारी कर होने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसी भी वृथ पर मतदाताओं की संख्या ज्यादा होगी तो मतदान में ज्यादा वक्त लगेगा। वहीं, सिंघवी ने आगे कहा कि मतदान केंद्र पर लंबी कतारें और इंतजार वोटर्स के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है।

पीठ ने कही ये बात

याचिकाकर्ता के तर्कों पर पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें और ईवीएम के इस्तेमाल से समय की बचत होती है। आयोग मतदान के समय को कम करने के लिए ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। आगामी चुनावों पर पड़ेगा असर इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के फैसले से बिहार और दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं पर असर पड़ेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी का कहना है कि एक वोट डालने में 1 सेकंड का समय लगता है और इसलिए एक ईवीएम के साथ एक मतदान केंद्र पर एक दिन में 660 से 490 लोग अपना वोट डाल सकते हैं। औसत मतदान प्रतिशत 65.70 प्रतिशत होने पर विचार करते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 1,000 मतदाताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार एक मतदान केंद्र पर लगभग 650 मतदाता आते हैं।

जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि देश में ऐसे बूथ भी हैं जहां मतदाताओं का मतदान 85-90 प्रतिशत के बीच है। ऐसी स्थिति में, लगभग 20 प्रतिशत मतदाता या तो मतदान के घंटों के बाद कतार में खड़े रहेंगे या लंबे इंतजार के कारण अपने मतदाधिकार का प्रयोग करना छोड़ देंगे। प्रामाणिक गणराज्य या लोकतंत्र में दोनों में से कोई भी स्वीकार नहीं है।

## 'वक्फ की कितनी संपत्तियों पर है कब्जा', संसदीय समिति ने राज्यों से मांगा ब्योरा; सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जिक्र



संसदीय समिति ने राज्यों से वक्फ संपत्तियों का ब्योरा मांगा है। यह भी कहा गया है कि उन संपत्तियों की जानकारी भी दे जिन पर राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों का कब्जा है। समिति ने वक्फ बोर्ड के साथ चल रहे कानून विवाद वाली संपत्तियों का भी अपडेट मांगा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का जिक्र किया गया है।

नई दिल्ली। वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति ने राज्य सरकारों से अनधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों का ब्योरा मांगा है। सच्चर समिति की रिपोर्ट में कई राज्यों में वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का उल्लेख किया गया था। समिति ने राज्यों से वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का भी विवरण मांगा है। बता दें कि संसदीय समिति का कार्यकाल अब बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया गया है।

धारा 40 पर छिड़ी बहस

कांग्रेस सरकार ने 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया था। इस कानून की धारा 40 पर सबसे अधिक विवाद है। दरअसल, यह धारा वक्फ बोर्डों को यह तय करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। अब मौजूदा संशोधन विधेयक में इस पर ही अंकुश लगाने की तैयारी है। हालांकि विपक्षी दलों समेत कई मुस्लिम संगठनों ने सरकार के कदम की आलोचना की। उन्होंने विधेयक को

धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया।

राज्यों से मांगा कब्जे वाली संपत्तियों का ब्योरा

संसदीय समिति ने उन वक्फ संपत्तियों का भी ब्योरा मांगा है, जहां पर राज्य सरकार या उनकी आधिकारिक एजेंसियों का कब्जा है। 2005 में बनी सच्चर समिति को विभिन्न वक्फ बोर्डों ने अधानिकृत कब्जों की जानकारी दी थी। संसदीय समिति केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से राज्यों से जानकारी जुटा रही है।

सच्चर समिति की रिपोर्ट में क्या है?

सूत्रों के मुताबिक भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने पाया है कि 2005-06 में सच्चर समिति को दिल्ली में 316, राजस्थान में 60 और कर्नाटक में 42 ऐसी संपत्तियां बताई गई थीं। मध्य प्रदेश में कब्जे वाली 53, उत्तर प्रदेश में 60 और ओडिशा 53 संपत्तियां थीं। समिति ने इन सभी छह राज्यों से जानकारी मांगी है। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी जानकारी मिली है।

कानूनी विवाद वाली संपत्तियों का भी देना है ब्योरा

समिति ने राज्य सरकारों से उन मामलों का विवरण साझा करने का भी आग्रह किया गया है, जहां उनकी एजेंसियां किसी संपत्ति के स्वामित्व या कब्जे को लेकर वक्फ बोर्ड के साथ कानूनी विवाद में शामिल हैं। यूपीए सरकार ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए 2005 में सच्चर समिति का गठन किया था। इस समिति ने 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

## हे पिता, क्यों हो गए मुझसे जुदा!



हे पिता, इतनी जल्दी क्यों हो गए मुझसे जुदा, मैं भी तो आपकी बहुत-सी बातों पर था फिदा। मैंने सीखा था आपसे उंगली पकड़कर चलना, आपका गोद में उठाकर मुझे ऊपर उछलाना! फिर माँ का धक्का रहकर धरकर चिल्लाना।

हे पिता, इतनी जल्दी क्यों हो गए मुझसे जुदा, मैं भी तो आपकी बहुत-सी बातों पर था फिदा। मेरा बीमार होना, माँ के साथ रस्तजगार करना, मेरी गलती होने पर मारने का अभिमान करना! किसी से विवाद होने पे मेरे साथ खड़े हो जाना।

हे पिता, इतनी जल्दी क्यों हो गए मुझसे जुदा, मैं भी तो आपकी बहुत-सी बातों पर था फिदा। याद आता है विद्यालय आकर टिफिन दे जाना, नौकरी से छुट्टी लेकर मुझे घर पर छोड़ आना! शाम होते आपका आना और मेरा लिपट जाना।

हे पिता, इतनी जल्दी क्यों हो गए मुझसे जुदा, मैं भी तो आपकी बहुत-सी बातों पर था फिदा। वह दाढ़ी करना, साबुन से मेरे गाल पर लगाना, साइकिल के डंडे पे छोटी सीट लगाकर बिटाना! मेरे थक जाने पर गोद में उठा, कंधे पर ले लेना।

हे पिता, इतनी जल्दी क्यों हो गए मुझसे जुदा, मैं भी तो आपकी बहुत-सी बातों पर था फिदा। याद आती है अब भी आपकी एक-एक अदा, हे ईश्वर एक बार फिर कर दे मिलाने का वादा! मैं जब कभी जन्म लूं, मेरे पिता वही रहें सदा।

संजय एम. तराणेकर